

570  
570  
02/09/2024

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।  
Email Id.-serwddarbhanga@circle@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक:- 1512 /दरभंगा।

दिनांक:- 28/8/24

सेवा में,

ई० दीप नारायण प्रसाद,  
अधीक्षण अभियन्ता।

विषय:-

MMGSY (NDB) योजनान्तर्गत Package No-MMGSY-NDB-BRRP-671-DARBHANGA-1  
(Tender Id-133749) पथ निर्माण कार्य का निविदा स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयाधीन कार्य के निविदा अग्रिमेख के आधार पर वित्तीय लीड में सफल योग्य न्यूनतम निविदाकार Chandan Kumar Mishra (Bid ID- 575318) को उनके निविदित दर B.O.Q. दर से 07.65 प्रतिशत कम दर पर अद्यतन प्रचलित सभी करों सहित मो-01-17,35,326=00 (Rupees Seventeen Lakh Thirty Five Thousand Three Hundred and Twenty Six) रुपया की लागत पर कार्य आवंटित कर स्वीकृत निविदा एवं तुलनात्मक विवरणी मूल में संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु संलग्न किया जा रहा है।

2. संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा की कार्रवाई नियमानुसार सम्पन्न करेंगे। निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संवंधित एन०एस०पी०/पासबुक आदि का सत्यापन संवंधित डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कायदिश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संवंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. कायेपालक आर्गप्तो अर्जप्रत्तर्ती कार्रवाई स-पूब भेला-भेला आश्वस्त हा लंग के पथ का हस्तातरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राकलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जाएगी।
7. इस कार्य के संबंध में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक विन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की रिप्टिं में वरतुरिप्टिं से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत ही एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

21/09/24 Cashier (B6)  
Please do fine needful  
Plz do for urgent Rules  
as per eredent  
8 Guidelines  
02/09/24

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राकः किये गये उपबंध सें पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
11. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
12. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के संदर्भ में नियमानुसार खनन विभाग से सत्यापन कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई करेंगे।
13. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि के अंदर ही पूर्ण किया जाय। संपादित कार्य का गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।
14. कार्य समाप्ति अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।
17. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जॉचोपरांत आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
18. एकरारनामा के पूर्व निविदादाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संवेदक से वर्क प्रोग्राम तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें। संवेदक का नाम डिवार सूची में नहीं रहने के संदर्भ में अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक का निवंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिरिथ्ति में निजी जगीन पर निर्गाण नहीं कराया जाय।
23. कार्यपालक अभियंता संवेदक से खाली सीमेंट की योरी एवं अलकतरा झम की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वासभाजन,

15/10/2018

(ई० दीपनारायण प्रसाद)

अधीक्षण अभियन्ता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।  
Abhiman 25/10/2018

